न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

ए.बी.पी. 930/2026

कोपा थाना कांड संख्या–211/2025

अंतर्गत धारा 126(2),74,75,78,96 बी.एन.एस.

लक्षमण साह उर्फ लक्षमण कुमार साह.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री अनील कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से विद्वान अभियोजन पदाधिकारी–श्री ध्रुवदेव सिंह

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

30.03.2026 आवेदक लक्षमण साह उर्फ लक्षमण कुमार साह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि दिनांक 10.08.2025 को लक्षमण साह पंचायत पर ले जाकर उसकी बेटी कोमल को बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर छेड़खानी किया और अश्लील हरकत किया। उसके साक्ष्य के रूप में फोटा दे रहा हूँ। दिनांक 10.08.2025 को ही लक्षमण साह, सुदामा साई, बादशाह साई तीनों मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपहृता बरामद है। उभयपक्ष में सुलह हो गया है। अभियुक्त उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक पर नाबालिग के साथ छेड़खानी कर अपहरण करने का आरोप है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामला अग्रिम जमानत योग्य मामला नहीं है।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। पीड़िता ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित निर्णय 2020(1) पी.सी.सी.आर. 593 का अवलोकन किया गया। पीड़िता एवं आवेदक दोस्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला अग्रिम जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक के द्वारा एक माह के अन्दर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने/पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर 10,000/– (दस हजार) रुपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न न्यायालय/पुलिस की संतुष्टि पर द0प्र0स0 की 438(2) में उल्लिखित प्रावधानों के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दिये जाने का आदेश दिया जाता है। आवेदक का एक जमानतदार परिवार की महिला सदस्य तथा दूसरा ग्रामीण होगा।

लेखापित

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।